

संख्या-2590/15-7-06-16(77)/2208

सेवा में,

बाबू राम,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा भोग-2 समुदाय भोग,
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

विषय (7) अनुभाग

संलग्नक: दिनांक: 14 जुलाई, 2006

विषय - उपरोक्त केंद्रों में स्वीकृत प्राप्त पंजी नंबर हापुड़ रोड, नैरठ को सीपीएलएलएल नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनुरोधित प्रमाण पत्र दिनांक 14 जुलाई, 2006

प्रतिक्रिया

संलग्नक विषय की ओर ध्यान देना आवश्यक करती हुये मुझे यह कहने का निर्देश प्राप्त है कि उक्त प्रस्तावित विद्यालय को सीपीएलएलएल नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनुरोधित प्रमाण पत्र दिने जाने में इस राज्य सरकार की निम्नलिखित प्रतिबंधों को ध्यान में रखा जाना है:-

- (1) विद्यालय की पंजीकृत सौदाशयी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- (2) विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- (3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के शैक्षिक क्षेत्रों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उपरोक्त माध्यमिक शिक्षा परिषद/केन्द्रीय शिक्षा परिषद द्वारा संस्थापित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित अनुपात में शैक्षिक सुलभ नहीं किया जायेगा।
- (4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता संश्लेषण बोर्ड द्वारा केन्द्रीय परीक्षाएं नई दिल्ली/प्रीति विहार ब्लॉक दि. 14/7/06 को स्वीकृत/स्वीकृत नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से संबद्धता प्राप्त होने की स्थिति में उपरोक्त माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
- (5) संस्था में शैक्षिक एवं शैक्षणिक कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त विभाग संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमति के बिना तथा अन्य भातों से कम वेतनमान तथा अन्य भातों नहीं दिये जायेंगे।

- (6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुसूचित सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगा ।
- (7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- (8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पत्रिकाओं में रखा जायेगा ।
- (9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

3- उक्त शर्तियों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह सम्भ्रज्यता है कि संस्था द्वारा उक्त शर्तियों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की झूठ या विश्वसनीयता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रवर्तन अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

(बाबू राम)
अनु सचिव ।

पत्र- / 15-7-2006 तृतीयिका

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय संपुस्त शिक्षा निदेशक, मेरठ ।
- 3- शिक्षा विद्यालय निरीक्षक, मेरठ ।
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ०प्र०, लखनऊ ।
- 5- प्रधानक, एम०ए०ई० इंटरिटेज स्कूल ग्राम पीथी मेरठ हापुड़ रोड, मेरठ ।
- 6- गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(बाबू राम)
अनु सचिव ।